(20) (1)

समक्ष श्रीमान् न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

राजस्व अपील /2017-18

अपीलार्थी - गीता बाई पति स्व. केशव प्रसाद पाण्डे
आवेदिका उम्र लगभग - 55 वर्ष
निवासी गाड़ासरई चौकी गाड़ासरई,
तहसील बजाग जिला डिण्डौरी

अपील - 2748/2018/ डिन्डोरी/भू.रा

विरूद्ध

अनावेदकगण - बिहारीलाल साहू पिता मूलचंद साहू
उम्र 60 वर्ष निवासी गाड़ासरई जिला डिण्डौरी

अपील अंतर्गत म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा के तहत्

अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर द्वारा अपने आलोच्य आदेश दिनांक 27/02/18 प्रकरण क्रमांक 556/अपील/2017-18 के पैरायह अभिमत दिया कि कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये इस तरह अतिरिक्त आयुक्त द्वारा बिना दस्तावेजों का अवलोकन किये आलोच्य आदेश पारित किया गया जो कि अपास्त किये जाने योग्य है।जिस आलोच्य आदेश दिनांक 27/02/2018 से व्यथित होकर के अपील प्रस्तुत है।

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
04 APR 2018
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग

आवेदक सविनय निवेदन करता है :

(569)

1. यह कि, आवेदिका ने एस.डी.ओ. के आदेश के विरूद्ध अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर संभाग के सम्मुख अपील पेश की जिस पर अतिरिक्त आयुक्त द्वारा आवेदिका की अपील को निरस्त किया गया एवं यह पाया कि आवेदिका की अपील दिनांक 28/09/2017 व 15/12/2017 के तहसीलदार बजाग थाना प्रभारी बजाग को लिखे पत्र को है एवं उत्तरवादी का तर्क मान्य किया गया।
2. यह कि, आवेदिका ने अतिरिक्त आयुक्त के सम्मुख एक अंतरिम आवेदन दिनांक को प्रस्तुत किया जिस पर आवेदिका ने तहसीलदार के मूल आदेश को आपास्त किये जाने का निवेदन किया किन्तु अतिरिक्त आयुक्त द्वारा आवेदिका के आवेदन पर कोई भी सुनवाई नहीं की न ही आवेदिका के आवेदन पर अनावेदक द्वारा किसी तरह का प्रतिउत्तर दिया गया। बिना सुनवाई के अवसर दिये आवेदिका की अपील निरस्त की गई जबकि अनावेदक द्वारा पूर्व में तहसीलदार बजाग के सम्मुख धारा 248 म.प्र. भू राजस्व संहिता के अंतर्गत आवेदन पेश किया गया जिस पर तहसीलदार द्वारा बेदखली का आदेश दिया गया एवं अनावेदक द्वारा पुनः एस.डी.एम. के सम्मुख आवेदन पेश किया गया एवं उच्च न्यायालय में तथ्य छुपाते हुये अनावेदक द्वारा एक याचिका प्रस्तुत की गई जो कि उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त की गई है। इस तरह अतिरिक्त आयुक्त द्वारा आवेदिका की अपील बिना दस्तावेजों के अवलोकन के निरस्त किया गया साथ ही साथ आवेदिका की अपील में रिकार्ड बुलाया गया था किन्तु तहसीलदार बजाग द्वारा किसी तरह का रिकार्ड नहीं भेजा गया जबकि आलोच्य आदेश में रिकार्ड का उल्लेख है, न ही एस.डी.ओ. द्वारा रिकार्ड का अवलोकन किया गया और न ही अतिरिक्त आयुक्त द्वारा रिकार्ड की प्राप्ति की गई। इस तरह आलोच्य आदेश में बिना गुण-दोषों के विचार किये आवेदिका की अपील को प्रचलनशील नहीं माना एवं आवेदिका की अपील खारिज की गई। इस तरह यह प्रमाणित होता है कि अतिरिक्त आयुक्त द्वारा बिना मतिष्क के प्रयोग किये आवेदिका की अपील निरस्त की गई,
3. यह कि, आवेदिका उक्त पते पर स्थाई रूप से निवास करती है। यह कि, आवेदिका की पैत्रक भूमि ख.नं. 110/1, प.ह.नं. 96, ग्राम गाड़ासरई, तहसील बजाग जिला डिण्डौरी कुल रकवा 0.030 हेक्टेयर भूमि की पैत्रिक भूमि पर आवेदिका काबिज है जबकि प्रतिवादीगण ख.नं. 109/1/क/क, कुल रकवा 0.231 हेक्टेयर की भूमि उनकी पैत्रिक एवं निजी स्वामित्व की भूमि है। आवेदिका की

COMMISSIONER OF OATH FOR JABALPUR
4 APR 2018

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2748/2018/डिण्डोरी/भू.रा.

स्थान एवं **दिनांक**	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5/6/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में एवं द्वितीय अपील अपर आयुक्त के न्यायालय में की गई। अपर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में तृतीय अपील पेश की गई है। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 में तृतीय अपील का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में यह अपील ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	